अनुदान संख्या 95 – चंडीगढ़
GRANT No. 95–CHANDIGARH

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*33,71,00*		*33,95,00*	*33,19,38*	*–75,62*
पूरक	*Supplementary*	*24,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*64,00*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1114,07,00		1169,66,00	1169,16,62	–49,38
पूरक	Supplementary	55,59,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*55,00*	*55,00*	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted -					
मूल	Original	175,48,00		200,82,00	200,12,28	–69,72
पूरक	Supplementary	25,34,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					68,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*75.62 लाख रु.*) मार्च, 2007 में प्राप्त किए *24.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings *(Rs.75.62 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.24.00 lakhs* obtained in March, 2007 and constituted 2 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Savings occurred under the following major head:-

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
ध-सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	**S-Ministry of Road Transport and Highways**				
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"				
सड़क परिवहन	Road Transport				
मू.	*O.*	*138.00*			
			17.00	*16.96*	*–0.04*
पु.	*R.*	*–121.00*			

(I) *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2055" - "जिला पुलिस - चंडीगढ़" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2055" – "District Police – Chandigarh".

(II) "चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम - प्रचालन" के अंतर्गत *121.04 लाख रु.* की बचत (*138.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा प्रतिपूर्ति के कम मामलों का निर्णय दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Chandigarh Transport Undertaking - Operation" - saving of *Rs.121.04 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.138.00 lakhs*) was due to less compensation cases decided by the Motor Accident Claims Tribunal.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

क-गृह मंत्रालय	**A-Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "2015"	Major Head "2015"				
निर्वाचन	Elections				
मू.	O.	300.00			
			185.00	185.00	. .
पु.	R.	–115.00			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	7822.00			
पू.	S.	290.00	8353.85	8353.90	+0.05
पु.	R.	241.85			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ञ-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	**J- Ministry of Health and Family Welfare**					
मुख्य शीर्ष "2210'' चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health					
मू.	O.	8583.00		7986.88	7983.76	–3.12
पु.	R.	–596.12				
ट-प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	**K-Department of Elementary Education and Literacy**					
मुख्य शीर्ष "2202'' सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education					
मू.	O.	5314.00		4951.09	4943.86	–7.23
पु.	R.	–362.91				
ठ-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**L-Department of Secondary Education and Higher Education**					
मुख्य शीर्ष "2202'' सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education					
मू.	O.	10459.00		10936.05	10938.85	+2.80
पू.	S.	97.00				
पु.	R.	380.05				
ण-संस्कृति मंत्रालय	**O-Ministry of Culture**					
मुख्य शीर्ष "2205'' कला और संस्कृति	Major Head "2205" Arts and Culture					
मू.	O.	736.00		586.90	580.44	–6.46
पु.	R.	–149.10				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
भ-संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**X-Ministry of Communications and Information Technology**				
मुख्य शीर्ष "3451''	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	171.00			
पू.	S.	100.00	390.45	390.45	. .
पु.	R.	119.45			

(I) पांच शीर्षों के अंतर्गत 5.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.5.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2015'' - ''अन्य व्यय - नगरपालिकाओं के चुनाव'' के अंतर्गत 115.00 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नगर निगम के चुनाव पर कम व्यय होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2015" – "Other Expenditure – Election for Municipalities" – saving of Rs.115.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to less expenditure on election of Municipal Corporation.

(III) मुख्य शीर्ष "2210'' - ''चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - सरकारी चिकित्सा कालेज'' के अंतर्गत 598.36 लाख रु. की बचत (5206.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, जल और विद्युत बिलों के प्राप्त न होने और ठेके पर लिए गए कर्मचारियों की मजदूरी की बढ़ोतरी संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2210" – "Medical Education Training and Research - Allopathy - Government Medical College" - saving of Rs.598.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5206.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of water and electricity bills and non-finalisation of proposals for enhancement of wages of contractual staff.

(IV) मुख्य शीर्ष "2202'' - ''प्रारंभिक शिक्षा - निदेशन और प्रशासन - प्राथमिक विद्यालय'' के अंतर्गत 316.85 लाख रु. की बचत (4702.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और फर्म द्वारा सामग्री की पूर्ति न किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2202" - "Elementary Education -Direction and Administration - Primary Schools" - saving of Rs.316.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4702.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-supply of materials by the firm.

(V) मुख्य शीर्ष "2205'' - ''कला और संस्कृति का संवर्धन - अन्य स्कीमें'' के अंतर्गत 100.01 लाख रु. की बचत (160.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बेयंत सिंह मेमोरियल सोसाइटी को सहायता अनुदान जारी न किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2205" - "Promotion of Arts and Culture – Other Schemes" - saving of Rs.100.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.160.00 lakhs) was due to non-release of grants-in-aid to Beant Singh Memorial Society.

(VI) चार शीर्षों के अंतर्गत 254.60 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत से 41 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under four heads savings of Rs.254.60 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 17 percent to 41 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2055''-

(क) ''आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता - आपराधिक अन्वेषण स्टाफ''- 122.97 लाख रु. का अधिक व्यय (1246.88 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते की बकाया राशि और अंतरिम राहत की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''जिला पुलिस - चंडीगढ़''- 132.19 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 290.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 6651.63 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खुली जिप्सियों, आधुनिक मशीनरी, कंप्यूटरों की खरीद किए जाने, पुलिस कार्मिकों को वर्दी प्रदान किए जाने और डीजल की दरों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2055" –

(a) "Criminal Investigation and Vigilance – Criminal Investigation Staff" - excess of Rs.122.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1246.88 lakhs) was due to payment of arrears of dearness allowance and interim relief.

(b) "District Police – Chandigarh" - excess of Rs.132.19 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.6651.63 lakhs including supplementary grant of Rs.290.00 lakhs obtained in March, 2007) was due to purchase of open gypsies, modern machinery, computers, providing uniforms to police personnel and increase in the rates of diesel.

(खा) मुख्य शीर्ष "2202'' -

(क) ''माध्यमिक शिक्षा - सरकारी माध्यमिक विद्यालय - माध्यमिक विद्यालय''- 203.80 लाख रु. का अधिक व्यय (3103.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिजली और पानी के लंबित बिलों की अदायगी किए जाने, महंगाई भत्ते की बकाया राशि की अदायगी किए जाने और माध्यमिक विद्यालयों में आधुनिक अवसंरचना प्रदान कराए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - सरकारी कालेज और संस्थान - कला और विज्ञान कालेज''- 143.02 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 97.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1734.26 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते के बकाया की अदायगी किए जाने, लंबित पानी और बिजली के बिलों का निपटान

(B) Major Head "2202" –

(a) "Secondary Education - Government Secondary Schools – Secondary Schools" - excess of Rs.203.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3103.00 lakhs) was due to payment of pending electricity and water bills, payment of arrears of dearness allowance and providing of modern infrastructure in secondary schools.

(b) "University and Higher Education - Government Colleges and Institutes - Arts and Science Colleges" - excess of Rs.143.02 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1734.26 lakhs including supplementary grant of Rs.97.00 lakhs obtained in March, 2007) was due to payment of arrears of dearness

किए जाने और व्यावसायिक कालेजों में कंप्यूटरीकरण कराए जाने के कारण हुआ।

allowance, clearance of pending water and electricity bills and computerisation in professional colleges.

(गा) मुख्य शीर्ष "3451'' - ''सचिवालय - सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग''- 119.45 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 100.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 271.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न स्कीमों को लागू किए जाने की वजह से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का उन्नयन किए जाने के कारण हुआ।

(C) Major Head "3451" - "Secretariat – Department of Information and Technology" - excess of Rs.119.45 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.271.00 lakhs including supplementary grant of Rs.100.00 lakhs obtained in March, 2007) was due to upgradation of Information Technology Department owing to implementation of various schemes.

(II) तीन शीर्षों के अंतर्गत 222.38 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक था।

(II) Under three heads excess of Rs.222.38 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 21 percent to 150 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
क-गृह मंत्रालय	**A-Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "4059'' लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	148.00			
पू.	S.	200.00	315.00	314.98	–0.02
पु.	R.	–33.00			
ध-विद्युत मंत्रालय	**D-Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष "4801'' बिजली परियोजनाओं पर पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	2516.00	2685.00	2684.97	–0.03
पु.	R.	169.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ञ-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	**J-Ministry of Health and Family Welfare**					
मुख्य शीर्ष ‘‘4210’’ चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4210” Capital Outlay on Medical and Public Health					
मू.	O.		733.00	599.12	598.64	–0.48
पु.	R.		–133.88			
ठ-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**L-Department of Secondary Education and Higher Education**					
मुख्य शीर्ष ‘‘4202’’ शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4202” Capital Outlay on Education Sports, Arts and Culture					
मू.	O.		604.00	738.73	738.62	–0.11
पू.	S.		200.00			
पु.	R.		–65.27			
ध-सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	**S-Ministry of Road Transport and Highways**					
मुख्य शीर्ष ‘‘5054’’ [illegible]	Major Head “5054” Capital Outlay on Roads and Bridges					
मू.	O.		357.00	200.00	200.01	+0.01
पु.	R.		–157.00			
प-शहरी विकास मंत्रालय	**U-Ministry Urban Development**					
मुख्य शीर्ष ‘‘4217’’ शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4217” Capital Outlay on Urban Development					
मू.	O.		11234.00	11788.67	11788.38	–0.29
पू.	S.		420.00			
पु.	R.		134.67			

(I) मार्च, 2007 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(I) Supplementary grant obtained in March, 2007 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "4059" - "अन्य भवन - निर्माण - न्याय प्रशासन"- 98.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 298.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो, 48.02 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(A) Major Head "4059" - "Other Buildings - Construction - Administration of Justice" – the original provision of Rs.98.00 lakhs was augmented to Rs.298.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.48.02 lakhs;

(खा) मुख्य शीर्ष "4202" - "तकनीकी शिक्षा - पोलीटेक्निक्स - भवन"- 159.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 160.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 319.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो, 19.01 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(B) Major Head "4202" - "Technical Education – Polytechnics - Buildings" - the original provision of Rs.159.00 lakhs was augmented to Rs.319.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.160.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.19.01 lakhs; and

(II) मुख्य शीर्ष "4210" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - सरकारी चिकित्सा कालेज/500 बिस्तर वाला द्वितीय सामान्य अस्पताल, सेक्टर-32, चंडीगढ़" के अंतर्गत 148.56 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(II) Under Major Head "4210" - "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Government Medical College/500 Bedded Second General Hospital Sector -32, Chandigarh" – saving of Rs.148.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रशासनिक अनुमोदन विलंब से प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to late receipt of administrative approval.

(III) मुख्य शीर्ष "5054" - "राज्य राजमार्ग - सेतु - निर्माण" के अंतर्गत 193.99 लाख रु. की बचत (204.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) Under Major Head "5054" – "State Highways – Bridges – Constructions" - saving of Rs.193.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.204.00 lakhs); and

(IV) मुख्य शीर्ष "4217" - "राज्य की राजधानी का विकास - अन्य व्यय - अन्य विकास स्कीमें" के अंतर्गत 174.65 लाख रु. की बचत (360.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(IV) Under Major Head "4217" – "State Capital Development – Other Expenditure – Other Development Schemes" - saving of Rs.174.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.360.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of schemes.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 111.03 लाख रु. की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 54 प्रतिशत और 67 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads savings of Rs.111.03 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 54 percent and 67 percent of the sanctioned provision.

5.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''पारेषण और वितरण - चंडीगढ़ में विद्युत का पारेषण और वितरण - विद्युत का वितरण''- 169.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1916.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना प्रौद्योगिकी पार्क में ऊपरी तारों का प्रावधान कराए जाने और66 केवी उप-केंद्र को 220 केवी में परिवर्तित किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''4217'' - ''राज्य की राजधानी का विकास - अन्य व्यय - बागवानी विकास''- 263.14 लाख रु. का अधिक व्यय (90.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तार बिछाने संबंधी निर्माण कार्य के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

5.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "4801" - "Transmission and Distribution - Transmission and Distribution of Power in Chandigarh - Distribution of Power" - excess of Rs.169.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1916.00 lakhs) was due to providing of overhead lines at Information Technology Park and conversion of 66 KV sub-station into 220 KV.

(B) Major Head "4217" - "State Capital Development – Other Expenditure –Horticulture Development" - excess of Rs.263.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.90.00 lakhs) was due to additional requirement of funds for completion of wire creation works.